

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 67/2025

विकास पुत्र ओमप्रकाश जाति विशनोई निवासी शोरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
वादी

बनाम्
रोशनी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति विशनोई निवासी शोरेका तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ़।

प्रतिवादीया

दिनांक... 21/3/25

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रामस्वरूप भादू व प्रतिवादी वकील रूपराम कासनिया अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 18 जीजीआर के खाता सं० 198/104 में अंकित कुल 1.012 है० कृषि भूमि में से प्रतिवादीया रोशनी देवी के 1/3 हिस्सा की आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन कर चक नं० 18 जीजीआर के खाता सं० 198/104 में से प्रतिवादीया रोशनी देवी का नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के वाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
पदेन सहायक कलक्टर (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।